नम्बर मुकदमा 90/2023
अनवान बलवंत राम बनाम गोपीराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 90/2023

बलवंत राम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।

— — प्रार्थी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र सुरजाराम
2. पृथ्वीराज पुत्र मोमनराम
3. प्रभुदयाल पुत्र लालचन्द
4. लालचन्द पुत्र विजयसिंह पुत्र सूरजाराम
5. विजयसिंह पुत्र दौलतराम
6. सत्यनारायण पुत्र मोमनराम
7. सुलतानराम पुत्र सुरजाराम

(1 से 7) जाति जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

8. 8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जयप्रकाश बेरड़ — — प्रार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी — — अप्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :—24.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकार होने की पूरी—पूरी संभावना है वाद पत्र में दर्ज तथ्य इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है जिसे अभिन्न अंग मानकर पढ़ा जावे ताकि तथ्यों की पृनरावृति न हो। चक 8 एफ बड़ा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/50 के मु.न. 11 में 4. 174 हैक्टर व मु.न.12 में 6.325 इस प्रकार से कुल 10.490 हैक्टर संयुक्त भूमि में से प्रार्थी के हिस्सा की भूमि 1973/10499 अर्थात 1.973 हैक्टर नहरी मय खाल कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के दादा सूरजाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा अपने वारिसान में सब की सहमति से दिनांक 11.09.1972 को बंटवारा किया गया था। प्रार्थी के दादा सूरजाराम व सूरजाराम के वारिसान के द्वारा दिनांक 11.09.1972 को पंजीकृत बंटवारानामा के द्वारा उक्त भूमि को निम्न प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

विभाजन किया गया था तथा सभी सहकाश्तकारान के अपनी–अपनी भूमि आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया था जो निम्न प्रकार से है :–

क– महावीर पुत्र सूरजाराम को चक 8 एफ बड़ा के मु.न.11 के किला नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक में 18 विस्वा व किला नम्बर 8 ता 12 सालम कुल 7 बीघा 14 विस्वा भूमि घरेलु बंटवारा में प्राप्त हुई ।

ख– लालचन्द पुत्र विजयसिंह पुत्र सूरजाराम को चक 8 एफ बड़ा के मु.न. 11 के किला नम्बर 7 में 10 विस्वा 13 ता 20 सालम, 21 ता 24 प्रत्येक में 18 विस्वा कुल 8 बीघा 2 विस्वा भूमि हिस्सा में आई व किला नमबर 21 ता 24 प्रत्येक में 2 विस्वा रास्ता सहकाश्तकारान के आने–जाने के लिए छोड़ा गया ।

ग – मोमनराम पुत्र सूरजाराम को चक 8 एफ बड़ा के मु.न. 12 के किला नम्बर 1 ता 8 सालम कुल 8 बीघा हिस्सा में आई ।

घ – गोपीराम पुत्र सूरजाराम को चक 8 एफ बड़ा के मु.न. 2 के किला नम्बर 9 ता 14 सालम, 15 व 16 में 18 विस्वा व किला नम्बर 17 में 4 विस्वा कुल 8 बीघा भूमि बंटवारा में आई व किला नम्बर 15 व 16 प्रत्येक में 2 विस्वा रास्ता सहकाश्तकारान की कृषि भूमि में आने जाने के लिए छोड़ा गया।

ङ– सुलतान पुत्र सूरजाराम को चक 8 एफ बड़ा के मु.न. 12 के किला नम्बर 17 में 16 विस्वा किला नम्बर 18 ता 24 सालम व किला नम्बर 25 में 18 विस्वा कुल 8 बीघा 14 विस्वा भूमि बंटवारा में आई तथा किला नम्बर 25 में 2 विस्वा रास्ता सहकाश्तकारान को अपनी–अपनी बंटवारा अनुसार कृषि भूमि में काश्त हेतु आने जाने के लिए छोड़ा गया । इस प्रकार सभी काश्तकार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज हो गये तथा अपने आने जाने के लिए रास्ता मु.न. 11 के किला नम्बर 21 ता 24 प्रत्येक में 2 विस्वा व मु. न. 12 के किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक में 2 विस्वा उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार चालू रहा। मु.न. 11 के किला नम्बर 25 गैरखातेदारी भूमि है जिसमें से पिछले 50 वर्षो से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रास्ता के लिए प्रयोग कर रहे है।

5. यह कि प्रार्थी के पिता मोमनराम के हिस्सा की कृषि भूमि मोमनराम के पुत्रों सत्यनारायण,पृथ्वीराज व प्रार्थी के हिस्सा में आयी तथा महावीर पुत्र सूरजाराम ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्रार्थी के हक में जरिये दान पत्र अन्तरण कर दी। जिसके बाद आपसी बंटवारा से प्रार्थी के हिस्सा में चक 8 एफ बड़ा मु. न. 11 की किला नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक की 18 विस्वा तथा किला नम्बर 8 ता 12 सालम नहरी कृषि भूमि आई जिस पर प्रार्थी का कब्जा है व प्रार्थी के द्वारा काश्त की जा रही है। गोपीराम पुत्र सूरजाराम ने अपने हिस्सा की भूमि में से प्रभुदयाल पुत्र लालचन्द को 0.759 हैक्टर यानि 3 बीघा कृषि भूमि बैय कर दी । जो कि मु.न. 12 के किला नम्बर 14 सालम, 15,16 प्रत्येक में 18 विस्वा व किला नम्बर 17 में 4 विस्वा है इस पर प्रभुदयाल प्रतिप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा व काश्त है।

6. यह कि चक 8 एफ बड़ा के मु.न.11 के किला नमबर 21 ता 25 प्रत्येक में दो विस्वा व चक 8 एफ बड़ा के ही मु.न. 12 के किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक में दो विस्वा रास्ता सभी काश्तकारों की सहमति से पंजीबद्ध बंटवारनामें की दिनांक 11.09.1972 से ही चला आ रहा था परन्तु अब अप्रार्थीगण के द्वारा मु.न. 11 के किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ते को अवरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कर उस पर कब्जा किया जा रहा है तथा मु.न. 12 के किला नमबर 15 व 16 में अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा पक्का खाल का निर्माण किया जा रहा है, मौका पर निर्माण का सामान पड़ा है जिससे रास्ता अवरूद्व हो रहा है । फोटोग्राफस संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

7. यह कि उक्त बंटवारनामा रजिस्टर्ड है जिसके गलत होने की कोई संभावना नहीं है तथा कानूनी रूप से कृषि भूमि का बंटवारा हो चुका है।

बंटवारानुसार ही सभी काश्तकार अपनी अपनी कृषि भूमि पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इस बंटवारा का अमल दरामद नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के बदनियती आ गई है ओर वे येन–केन इस रास्ता के रकबा को खुर्द–बुर्द कर कब्जा करने की फिराक में है इस कारण अप्रार्थीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबंद किया जाना आवश्यक है इसलिए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जा सके ।

8. यह कि अप्रार्थीगण को यह ईल्म हो जाने के कारण कि प्रार्थी अपने कब्जा काश्त व रिकार्ड की भूमि का खाता तकसीम करवाने व रजिस्टर्ड बंटवारा के अनुसार छोड़े गये रास्ता को मंजूर करवाने के लिए सक्षम न्यायायल में प्रयास कर रहा है अगर दौराने वाद अप्रार्थीगण ने रास्ता की भूमि को आगे रहन– बैय व मुंतकिल या भूमि किसी भी तरह का पक्का निर्माण कर लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी तथा आईदा मुक्दमाबाजी बढ़ेगी। इसी कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व जरूरी है।

9. यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा आईदा मुक्दमाबाजी बढ़ेगी तथा प्रार्थी अपने खेत में आ–जा

नहीं सकेगा, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह किसी भी प्रकार से चल रहे रास्ता को अवरूद्व नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

10. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार की है जो कि समुचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है दिनांक 11.09.1972 के घरू बंटवारा के अनुसार चक 8 एफ बड़ा के मु.न. 11 के किला नम्बर 21 ता 25 व मु.न. 12 के किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक में दो–दो विस्वा रास्ता में किसी प्रकार से कोई मदाखलत नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 8 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 35/50 के मुरब्बा नम्बर 11, 12 की 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक है जबकि प्रार्थी ने कुल 10.490 है. का अंकन किया है जो राजस्व रिकार्ड से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा प्रार्थी ने चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 8/20 के मुरब्बा नम्बर 11, 25, 26, 29 की कुल 5.364 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रार्थी बलवन्तराम पुत्र मोमनराम के नाम 131/5364 हिस्सा यानि 0.131 है., अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम पुत्र सुरजाराम के नाम 41/2682 हिस्सा यानि 0.082 है., अप्रार्थी संख्या 4 लालचन्द पुत्र विजय सिंह के नाम 9/596 हिस्सा यानि 0.081 है, अप्रार्थी संख्या 7 सुलतानराम पुत्र सुरजाराम के नाम 9/596 हिस्सा यानि 0.081 है. कृषि भूमि दर्ज है जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहहिस्सेदार है जिसका भी विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य होना है जो प्रार्थी ने जानबुझकर अंकित नहीं की है। उक्त दोनो खातो की कृषि भूमि अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है इस मद में वर्णित चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 11, 12 की कुल 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में हम उतरदातागण एवं सुरजाराम के समस्त वारिसान का समान हक व हिस्सा है जिसके लिए हम उतरदाता द्वारा काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है एवं चक 8 एफ बड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 8/20 के मुरब्बा नम्बर 11, 25, 26, 29 की कुल 5.364 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त खाता की कृषि भूमि के साथ ही विभाजित करने हेतू काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज कथन जिस तरह से वर्णित किये गये है अस्वीकार है। प्रार्थी के दादा सुरजाराम द्वारा दिनांक 11/09/1972 को अपने वारिसान की सहमति से बंटवारा करने के कथन असत्य एवं निराधार है। 50 वर्ष पूर्व के प्रयोग में नहीं लिये गये एवं तत्तकालीन परिस्थितियो में सिलिंग कानून में अपने परिजनों के हिस्से दिखाने के लिए एक नुमायशी दस्तावेज बिना पारिवारिक सदस्यो की सहमति के तैयार किया गया उक्त नुमायशी एवं आधारहीन दस्तावेज को आधार बनाकर प्रार्थी अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतू हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति विभाजन से हम उतरदातागण एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों को वंचित करना चाहता है। इस दस्तावेज का आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज एक नुमायशी दस्तावेज है। प्रार्थी को अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतू निष्प्रभावी दस्तावेज के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उक्त बंटवारा सभी वारिसान की सहमति से नहीं किया गया था उक्त बंटवारा में पारिवारिक सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं दिनांक 11/09/1972 को हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति का बंटवारा करने में पारिवारिक सदस्य सक्षम भी नहीं थे ऐसी परिस्थितियो में उक्त बंटवारा प्रारम्भतः ही शुन्य है। इस बंटवारा के आधार पर किसी पारिवारिक सदस्य को कब्जा भी नहीं दिया गया एवं ना ही इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया गया। उक्त बंटवारा सैटलमेंट से पूर्व का होने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करवाये जाने के कारण विधि मान्य नहीं है, बंटवारनामा दिनांक 11/09/1972 शुन्य दस्तावेज है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर वादी/प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज कथन जिस प्रकार से वर्णित किये गये है अस्वीकार है। जैसा की जवाब वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित किया गया है कि बंटवारानामा दिनांक 11/09/1972 शुन्य एवं प्रभावहीन है इसके आधार पर सुरजाराम के वारिसान को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुए है ना ही इस रोज से कब्जा काश्त दी गई, ना ही राजस्व रिकार्ड में अमल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दरामद करवाया गया । बंटवारानामा राजस्व रिकार्ड से मेल नहीं खाता है इसलिए बंटवारा को आधार नहीं बनाया जा सकता। वादी का इस मद में वर्णित अनुसार विभाजन करने या आवाजाही हेतू रास्ता छोड़ने के कथन निराधार एवं कपोल कल्पित है। वादी का कुःआश्य चक 8 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 35 0 के मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की कुल 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में सें हम उतरदातागण एवं सुरजाराम के अन्य वारिसान को उनके पैतृक सम्पति में हक व हिस्सा के अधिकारो से वंचित करने का है इसलिए निष्प्रभावी दस्तावेज को आधार बनाकर जानबुझकर समस्त वस्तुस्थिती जानते हुए उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 की उप मद संख्या क, ख, ग, घ, ड़ में वर्णित अनुसार महावीर, लालचन्द, मोमनराम, गोपीराम, सुलतान को घरेलू बंटवारा में भूमि दिये जाने के कथन अस्वीकार है। चक 8 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 35/50 के मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की कुल 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि एवं चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 8/20 के मुरब्बा नम्बर 11, 25, 26, 29 की कुल 5.364 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रार्थी बलवन्तराम पुत्र मोमनराम के नाम 131/5364 हिस्सा यानि 0.131 है., अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम पुत्र सुरजाराम के नाम 41/2682 हिस्सा यानि 0.082 है., अप्रार्थी संख्या 4 लालचन्द पुत्र विजय सिंह के नाम 9/596 हिस्सा यानि 0.081 है., अप्रार्थी संख्या 7 सुलतानराम पुत्र सुरजाराम के नाम 9/596 हिस्सा यानि 0. 081 है. कृषि भूमि पैतृक सम्पति है । सुरजाराम पुत्र ईसरराम एवं श्रीमती दांखादेवी पत्नी सुरजाराम के देहान्त के बाद इनके वारिसान महावीर, मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरी देवी प्रत्येक 1/7 हिस्से के हिस्सेदार/मालिक हुए चूंकि महावीर अविवाहित फौत हो गया इसलिए महावीर की सम्पति के मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरीदेवी प्रत्येक 1/6 हिस्सा के हिस्सेदार/मालिक हुए। रामेश्वरी देवी व किस्तुरी देवी ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग किया हुआ है इसलिए उक्त सम्पति में सुरजाराम के वारिसान मोमनराम, विजयसिंह गोपीराम व सुलतानराम का बः हिस्सा बराबर बराबर यानि प्रत्येक परिवार 1/4 हक व हिस्सा घोषित किया जाना है लेकिन प्रार्थी ने उक्त तथ्यो को छिपाकर इस मद में साजिशाना तरीके से हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम करवाने के आश्य से वास्तविकता को छिपाकर वाद एवं उसके साथ तंग परेशान करने के आश्य से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र संव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। महावीर को हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति का विभाजन होने से पूर्व दान करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि महावीर ने कभी भी दानपत्र निष्पादित नहीं करवाया है एवं ना ही महावीर दानपत्र निष्पादित करने में सक्षम था। महावीर बचपन से ही पोलियोग्रस्त था तथा उसे अच्छे बुरे की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी तथा कई बीमारियो से पीड़ीत थे, एवं मन्दबुद्धि एवं विकलांग थे। बलवन्तराम व इसका भाई सत्यनारायण बहुत ही चालाक है जिन्होने महावीर की वृद्धावस्था एवं मन्दबुद्धि एवं विकलांगता का फायदा उठाकर बिना पारिवारिक सदस्यो की सहमति के पेंशन आदि बंधवाने के मिथ्या कथन करके येन केन प्रकरेण अगूंठा निशान करवाकर उक्त दस्तावेज उपहार पत्र तैयार करवाया है जो प्रारम्भतः ही शुन्य है। महावीर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपने चारो भाईयो मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम के परिवार में संयुक्त रूप से रहता था जिसके द्वारा केवल प्रार्थी बलवन्तराम के हक में उपहार पत्र या दान करने की कोई मंशा नहीं थी। प्रार्थी बलवन्तराम द्वारा केवल अपने हक में उपहारपत्र पंजीकृत करवाना विधि विरूद्ध है एवं सन्देहास्पद है। इस उपहार पत्र से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है चूंकि महावीर अविवाहित था तथा हिन्दु संयुक्त परिवार का सदस्य था जिसके देहान्त के बाद उसका हक व हिस्सा उसकी माताजी के स्वर्गवास होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके भाईयो व बहनो में बःहिस्सा बराबर विभाजित होना था लेकिन प्रार्थी ने दुराश्य से महावीर की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के आश्य से येन केन नुमायशी दस्तावेज तैयार किया है, जिससे प्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। सुरजाराम पुत्र ईसरराम एवं श्रीमती दांखादेवी पत्नी सुरजाराम के देहान्त के बाद इनके वारिसान महावीर, मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरी देवी प्रत्येक 1/7 हिस्से के हिस्सेदार/मालिक हुए चूंकि महावीर अविवाहित फौत हो गया इसलिए महावीर की सम्पति के मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरीदेवी प्रत्येक 1/6 हिस्सा के हिस्सेदार/मालिक हुए चुंकि रामेश्वरी देवी व किस्तुरी देवी ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग किया हुआ है इसलिए उक्त सम्पति में सुरजाराम के वारिसान मोमनराम, विजयसिंह गोपीराम व सुलतानराम का बः हिस्सा बराबर बराबर यानि प्रत्येक परिवार 1/4 हक व हिस्सा है तथा इसी अनुसार सुरजाराम के वारिसान में हक व हिस्सा घोषित किया जाना है। सुरजाराम के अविवाहित पुत्र महावीर के फौत हो जाने के कारण महावीर के हक व हिस्सा को प्राप्त करने तथा सुरजाराम के अन्य वारिसान को वंचित करने के आश्य से साजिशाना तरीके से कोई दस्तावेजात तहरीर करवाया है तो उसके आधार पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति में विभाजन होने से पूर्व संयुक्त खाता में किसी किला विशेष पर कब्जा होने के कथन निराधार है चक 8 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 35/50 के मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की कुल 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसके मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरीदेवी प्रत्येक 1/6 हिस्सा के हकदार है। रामेश्वरी देवी एवं किस्तुरी देवी द्वारा अपने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिये जाने के कारण मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में अंकित कथन मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। चक 8 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 35/50 के मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की कुल 10.499 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि एवं चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 8/20 के मुरब्बा नम्बर 11, 25, 26, 29 की कुल 5.364 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रार्थी बलवन्तराम व उतरदातागण गोपीराम, लालचन्द व सुलतानराम आदि के नाम दर्ज कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की भूमि है जिसमें मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम, रामेश्वरी देवी व किस्तुरीदेवी प्रत्येक 1/6 हिस्सा के हिस्सेदार है रामेश्वरी देवी व किस्तुरीदेवी ने अपना हक व हिस्सा परित्याग कर दिये जाने के कारण मोमनराम, विजयसिंह, गोपीराम, सुलतानराम प्रत्येक 1/4 हिस्सा कृषि भूमि के हकदार है तथा इसी

अनुसार हिस्सा घोषित होकर विभाजन किया जाना है। विभाजन किये जाने से पूर्व किला विशेष की कब्जा काश्त नहीं की हुई है, प्रत्येक हिस्सेदार प्रत्येक किला पर काबिज काश्त है। यह तथ्य अस्वीकार है कि काश्तकार पंजीबद्ध बंटवारानामा दिनांक 11/09/1972 के अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। यह तथ्य अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण के द्वारा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ता को अवरूद्ध या उस पर कब्जा किया गया हो। प्रार्थी ने, मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर पेश किये गये वाद को कानूनी जामा पहनाने के आश्य से एवं तंग परेशान करने के आश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में अंकित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है। बंटवारानामा नुमायशी दस्तावेज है जिसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है और ना ही काश्तकार बंटवारानामा के अनुसार भूमि पर काबिज चले आ रहे है और ना ही राजस्व रिकार्ड में इस दस्तावेज का अमल दरामद हुआ है। यह तथ्य अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण रास्ता की भूमि को खुर्द बुर्द कर कब्जा करने की फिराक में है। प्रार्थी शाश्वत व्यादेश का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। चूंकि दस्तावेज नुमायशी दस्तावेज है। प्रार्थी को इस दस्तावेज से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने सुलतानाम विरोधाभासी कथन अंकित किये है।

यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में अंकित तथ्य गलत एवं मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के आशय से नुकसान होने मुकदमाबाजी बढ़ने आदि के मिथ्या कथन किये है। हम उतरदातागण के नाम दर्ज कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार की हैसियत से उपयोग व उपभोग व काश्त करने के अधिकारी है, उक्त अधिकारो पर प्रार्थी को प्रतिबन्ध लगवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का आशय हम उतरदातागण एवं हमारे अन्य भाईयो को उनके हक व हिस्सा से वंचित करने एवं वाद दायर कर अनुचित दवाब बनाकर तंग परेशान करने का है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हम उतरदातागण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि की काश्त में भारी परेशानियां पैदा होगी तथा ऋण लेने, फसल बेचने, सहकारी समिति से लाभ लेने आदि में भी व्यवधान पैदा होगा तथा हम उतरदातागण को ना पुरा होने वाला नुकसान कारित होगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में अंकित कथन मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु हम उतरदातागण के पक्ष में है। खेत में आवाजाही हेतू कोई रास्ता चालू ही नहीं है ऐसी सुरत में उसके बन्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने "मुकदमाबाजी बढ़ने व अपने खेत में आ जा नहीं सकेगा" के कथन क्लेवर ड्रापटिंग के आधार पर आधारहीन किये है। आज से कोई रास्ता ना तो स्वीकृत है ना ही चालू है ऐसी स्थिती में रास्ता अवरूद्ध नहीं करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे जाने की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। प्रार्थी ने, अनुचित दवाब बनाने हेतू मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 कानूनी है। प्रार्थी, प्रार्थना में मांगा गया अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र संव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नम्बर मुकदमा 90/2023
अनवान बलवंत राम बनाम गोपीराम

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा बंटवारानामा दिनांक 11/09/1972 के आधार पर रास्ता की भूमि पर स्थगन चाहा गया है। वादी के अभिकथनानुसार बंटावारा नामा के आधार पर विभाजन होने व आवाजाही हेतू रास्ता छोड़ने के कथन किया गया है। बंटवारानामा राजस्व रिकार्ड से मेल नहीं खाता है इसलिए बंटवारा को आधार नहीं बनाया जा सकता। वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य उपरान्त अन्तिम निर्णय पर ही बंटवारानामा की सत्यता व वैद्यता का निर्धारण किया जा सकेगा। अप्रार्थीगण रिकॉडेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार की भूमि पर स्थगन जारी किया जाना न्यायिक दृष्ट से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर